

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/पी.ए./आयुक्त/2011/51

भोपाल, दिनांक 7/2/2011

प्रति,

- 1- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.।
- 2- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगाने
बाबत।


-0-

राज्य जनगणना अधिकारी से की गई चर्चा के अनुक्रम में यह तथ्य सामने आया है कि जिन शिक्षकों को जनगणना कार्य हेतु कर्तव्यस्थ किया गया है, उनको केवल इतना कार्य दिया गया है कि वे फरवरी माह में अवकाश के दिनों में यह कार्य सम्पन्न कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें पृथक से मानदेय/भत्ता भी दिया जा रहा है।

अतः यह सुनिश्चित करें कि शिक्षण कार्य किसी भी रूप में प्रभावित न हो और सभी शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करेंगे। जनगणना कार्य में कर्तव्यरथ होने के आधार पर उन्हें किसी प्रकार से शैक्षणिक कार्य से मुक्त नहीं किया जावेगा। यदि कोई शिक्षक इसके बाद भी शैक्षणिक कार्य से अनुपस्थित पाया जावे तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाई की जावे।

राज्य जनगणना अधिकारी से चर्चा उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के किसी प्राचार्य को जनगणना कार्य हेतु लगाया गया है तो विकल्प स्वरूप किसी शिक्षक को उनके स्थान पर लगाया जाकर उन्हें जनगणना कार्य से मुक्त रखा जावे। प्राचार्य के स्थान पर विकल्प स्वयं प्राचार्य के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकेगा।

उपरोक्त पालन सुनिश्चित करावें।



आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.